<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 503/2000
देसरी थाना कांड संख्या 81/1996

दिनांक 29.05.2025 अभियुक्त रामसरिख राय की ओर से हाजिरी दी गयी। इस वाद में दिनांक 05.05.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था।

'अभियुक्त रामसरिख राय की ओर से हाजिरी दी गयी। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 31.01.2025 द्वारा धारा 311 द0प्र0सं0 का प्रयोग करते हुए मेडिकल ऑफिसर और अनसंधानकर्ता का परीक्षण न्यायालय में करने हेतु आदेश पारित किया गया और कार्यालय को डी0ओ0 लेटर सिविल सर्जन एवं डी0जी0पी0 पटना के माध्यम से निर्गत करने का आदेश पारित किया गयां जिसका अनुपालन कार्यालय द्वारा किया जा चुका है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त रामसरीख राय के विरूद्ध धारा 302/34, 323, 437, 342 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप दिनांक 13.07.2001 को गठित किया गया था। अभियोजन द्वारा साक्षी संख्या 1 रामदास, साक्षी संख्या 2 शंकर शरण सिंह, साक्षी संख्या 3 सिंघेश्वर राय, साक्षी संख्या 4 भरत राय, साक्षी संख्या 5 भुवनेश्वरी देवी, साक्षी संख्या 6 विनोदी देवी, साक्षी संख्या 7 हरिश चौधरी, साक्षी संख्या 8 भूरेन्द्र कुमार सिंह, साक्षी संख्या 9 उमाकांत राय, साक्षी संख्या 10 बिन्देश्वर राय, साक्षी संख्या 11 इंद्रदेव राय को प्रस्तुत किया गया है जबकि डॉक्टर वी0डी0 प्रसाद, पी0एम0सी0एच0 पटना की गवाही शेष है, जिनके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया था एवं अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक के0के0 सिंह तत्कालीन प्रभारी चांदपुरा ओ0पी0 देसरी थाना को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह वाद देसरी चांदपुरा थाना कांड संख्या 81/1996 दिनांक 26.06.1996 से संबंधित है, जिसमें आरोप पत्र संख्या 64/1996 दिनांक 31.07.1996 को दायर किया गया था। यह वाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा चिन्हित पुराने वादों की सूची में आता है और अभी तक अभियोजन के प्रमुख साक्षियों को प्रस्तुत नहीं करना अभियोजन की दशा और दिशा को दर्शाता है। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों साक्षियों के विरूद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करे तथा इस आदेश की एक प्रति पी0एम0सी0एच0 पटना एवं पुलिस अधीक्षक वैशाली/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करे। यदि अगले तीन तिथियों में साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो अभियोजन साक्ष्य बंद करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।'

कार्यालय द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 11.04.2025 एवं दिनांक 03.05.2025 को पत्र एवं जमानतीय वारंट निर्गत किया गया है। अतः अभियोजन को पुनः आगाह किया जाता है कि अगले तीन तिथियों में उपरोक्त साक्षियों को प्रस्तुत करे अन्यथा अभियोजन साक्ष्य पुनः बंद करते हुए अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। **कार्यालय आदेश की प्रति पुनः अधीक्षक पी0एम0सी0एच0 पटना एवं पुलिस अधीक्षक पटना/वैशाली को प्रेषित करे।** यह वाद सन् 2000 ई0 से लम्बित है एवं पीठ लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक 10 तिथियों के अंतराल पर इसे प्रस्तुत करे।

इस वाद में उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बावजूद दिनांक 16.05.2025 व आज दिनांक 29.05.2025 को अभियोजन द्वारा कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाता है। **कार्यालय आदेश की प्रति पुनः अधीक्षक पी0एम0सी0एच0 पटना एवं पुलिस अधीक्षक पटना/वैशाली को प्रेषित करे।**

दिनांक 10.06.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय